प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/ 11116-3 दिनांकः 3/3/16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 13 फरवरी 2016 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 13 फरवरी 2016 को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समस्त महाप्रबंधक एस0पी0एम0यू0/सिफ्सा एवं महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार
तद्दिनांकः

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक, अधिशासी अभियन्ता एवं उप महाप्रबन्धक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त जिला कार्यकम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/ दिनांकः 3/3/16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 13 फरवरी 2016 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 13 फरवरी 2016 को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समस्त महाप्रबंधक एस0पी0एम0यू0/सिफ्सा एवं महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/ 11116-3-11 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक, अधिशासी अभियन्ता एवं उप महाप्रबन्धक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा) 1/6
वरिष्ठ सलाहकार

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 13 फरवरी 2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.02.2016 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक का आयोजन होटल मॉयरियाड, लखनऊ में किया गया। बैठक में राज्य स्तर से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 उ0प्र0, डा0 बी0एस0अरोड़ा, वरिष्ठ सलाहकार–राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0एच0एम0, सिफ्सा एवं यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के अधिकारियों के साथ–साथ समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है–

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0,उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व जनपदों को आवंटित बजट के व्यय हेतु गहन समीक्षा के निर्देश दिये गये। माह फरवरी 2016 तक संपादित समस्त गतिविधियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। व्यय में शासकीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

2. मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, शाहजहॉपुर को वार्षिक बजट के सापेक्ष 32 प्रतिशत से कम व्यय किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। उक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों के साथ गहन समीक्षा कर आगामी 10 दिनों में समीक्षा का कार्यवृत्त मिशन निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, शाहजहॉपुर)

3. मिशन निदेशक द्वारा जनपद फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहॉपुर, सिद्वार्थनगर द्वारा आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल में 43 प्रतिशत से कम व्यय करने पर महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सघन अनुश्रवण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया कि जिन गतिविधियों में कम व्यय हुआ है, के जिम्मेदार जनपदीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

4. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में हापुड़, गौतमबुद्वनगर, एवं हमीरपुर में व्यय मात्र 37 प्रतिशत से कम पाये जाने पर मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य को उक्त जनपदों की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य)

5. आशा इन्सेन्टिव का भुगतान जनपद चन्दौली, कुशीनगर, भदोही, लखीमपुर खीरी में अत्यधिक कम पाये जाने पर मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक कम्यूनिटी प्रोसेस को उक्त जनपदों की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/महाप्रबंधक, सी0पी0)

6. ड्रग्स एवं कंज्यूमेबल जे0एस0एस0के0 में जनपद फैजाबाद, महोबा, शाहजहांपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद एवं हापुड़ द्वारा एक प्रतिशत से भी कम व्यय करने पर मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को एक सप्ताह में उक्त जनपदों में व्यय की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मिशन निदेशक कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)

7. डायग्नोस्टिक जे0एस0एस0के0 में जनपद इलाहाबाद, बांदा, बदायूं, एटा, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, हापुड़ एवं हाथरस में कोई व्यय न किये जाने पर मिशन निदेशक द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को एक सप्ताह

में उक्त जनपदों में व्यय की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मिशन निदेशक कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)

8. बायो मेडिकल वेस्ट में जनपद अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बदांयु, चन्दौली, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हापुड़ में कोई व्यय न होने पर मण्डलीय अपर निदेशक एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को उक्त जनपदों की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)

9. मिशन निदेशक द्वारा जनपदों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में कार्यरत कर्मियों को कार्य करने हेतु सम्मानजनक स्थिति प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

10. मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि भविष्य में अपने अधीन कार्यरत प्रबंधकों/कर्मियों का अवकाश स्वयं के अवकाश स्वीकृत कराने के बाद बैठक के दौरान न स्वीकृत किया जाये।

(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक,एन0एच0एम0)

11. एन0यू0एच0एम0 के तहत जनपद अमेठी एवं कानपुर देहात में आवंटित बजट के सापेक्ष कोई भी व्यय न पाये जाने पर संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश महाप्रबंधक, एन0यू0एच0एम0 को दिये गये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, एन0यू0एच0एम0)

12. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद में तैनात समस्त अधिकारियों को ब्लाक स्तर की इकाईयों में जाने देना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

13. प्रमुख सचिव द्वारा चश्में हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रति चश्मा रू0 200 को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट में @ रू0 275 प्रति चश्मा का हेतु Reappropriation का प्रस्ताव प्रमुख सचिव की ओर से भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक – राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम)

14. प्रमुख सचिव द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 22 जनपदों से वाहनों की सूचना राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में न प्राप्त होने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को 5 दिन में सूचना प्रेषित करने एवं महाप्रबंधक, आर0बी0एस0के0 डा0 हरिओम दीक्षित को व्यक्तिगत रूप से सूचना की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/महाप्रबंधक–आर0बी0एस0के0)

15. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी UP CMO's official group नामक व्हाट्स एप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव द्वारा इसी तरह UP CMS's official group बनाने के निर्देश भी दिये ।

(कार्यवाही–श्री दिग्विजय त्रिवेदी, सिफ्सा)

16. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों/मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 प्रशिक्षण, आशाओं के प्रशिक्षण 31 मार्च 2016 से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

17. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को UPHMIS पोर्टल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण माह फरवरी एवं मार्च 2016 में कराने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

18. प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक नियोजन को निर्देशित किया गया कि नवनियुक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण अतिशीध्र कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे नवनियुक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी हो सके।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक नियोजन)

19. बैठक में मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा अवगत कराया गया कि कई जगह पर मण्डलीय समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाता, जिससे कार्यक्रमों की समीक्षा नहीं हो पाती। इस पर प्रमुख सचिव द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मण्डलीय समीक्षा में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक रुप.से प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

20. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा, बुलन्दशहर, इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ द्वारा मण्डलीय समीक्षा में प्रतिभाग न करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये एवं भविष्य में ऐसा पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक, मुरादाबाद/मेरठ/इलाहाबाद)

21. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मुरादाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर समन्वय स्थापित करते हुये कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– मण्डलीय परियोजना प्रबंधक मुरादाबाद एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर)

22. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि मण्डलीय अपर निदेशक मण्डलीय समीक्षा एफ0एम0आर0 कोड के आधार पर करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रमों की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक)

23. मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में टैली शीट एवं एफ0एम0आर0 फीडिंग में कुछ समस्यायें आ रही है। जिस पर मिशन निदेशक द्वारा प्रबंधक वित्त को निर्देशित किया गया कि जनपद चन्दौली की टैली शीट एवं एफ0एम0आर0 फीडिंग से संबंधित समस्या को दूर करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)

24. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को भुगतान से संबंधित विलम्ब को दूर करने के संबंध में एक अर्द्धशासकीय पत्र मिशन निदेशक स्तर से प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)

25. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में स्थित स्वास्थ्य इकाईयों पर अधिकाधिक प्रसव कराये जायें। जिन जनपदों में निजी स्वास्थ्य इकाईयों पर अधिक प्रसव हो रहे हैं वहां की समीक्षा की जाये तथा कारणों का पता लगाया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

26. जनपद सन्त कबीर नगर में वी0एच0एन0डी0 प्रशिक्षण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से प्रशिक्षणार्थियों को भोजन उपलब्ध कराये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसा पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक, गोरखपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त कबीरनगर)

27. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर मातृ मृत्यु की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

28. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य इकाईयों पर गुणवत्तापरक सेवाओं को मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

29. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यक्रम में निर्धारित आशा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान ससमय किया जाये। साथ ही साथ समस्त प्रकार के भुगतान निश्चित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

30. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में संचालित एफ0आर0यू0 को मानकानुसार कियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा प्रयास किये जायें कि इन एफ0आर0यू0 की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सके।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

31. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में एफ0आर0यू0 की संख्या गतवर्ष की अपेक्षा कम हुई है वहां पर डा0 विजय लक्ष्मी, वरिष्ठ सलाहकार, एन0एच0एम0 द्वारा स्थलीय पर्यवेक्षण करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–डा0 विजयलक्ष्मी, वरिष्ठ सलाहकार, एन0एच0एम0)

32. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारियों के ए0सी0आर0 के फॉरमेट में आमूल–चूल संशोधन करते हुये परफॉरमेन्स इन्डीकेटर यथा व्यय, प्रदर्शन, मानव संसाधन की भर्ती आदि को भी शामिल करके इनके आधार पर मूल्यांकन किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

33. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में लक्ष्य से अधिक संविदा मानव संसाधन की नियुक्ति की गई है वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक)

34. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी जनपद में ब्लॉक स्तर के मानव संसाधन का भुगतान जनपद स्तर से न किया जाये यदि ऐसा पाया गया कि तो विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

35. मिशन निदेशक द्वारा जनपदों में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु भर्ती प्रकिया 15 मार्च 2016 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि जिन जनपदों में भर्ती प्रकिया पर शासन स्तर से रोक लगी है उन पर उक्त आदेश प्रभावी नही होगा।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

36. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों /जिला कार्यक्रम प्रबंधकों/ मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि जनपदों में में हो रही भर्ती प्रकिया की सूचना/प्रगति प्रत्येक शनिवार को ई मेल divpmu2009@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/डिवीजनल पी0एम0/डी0पी0एम0)

37. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों /जिला कार्यक्रम प्रबंधकों/मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को जनपदों में तैनात समस्त संविदा कर्मियों के भुगतान की सूचना Contractual HR Honararia Payment status फार्मेट में भरकर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक महाप्रबंधक मानव संसाधन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/डिवीजनल पी0एम0/डी0पी0एम0)

38. प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नर्सिंग सेवा नियमावली में परिवर्तन स्वीकृत हो गया है। नियमावली के अनुसार रिटायर्ड नर्सेज को पुर्नयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

39. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार आशाओं का चिन्हीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ आशा संगिनी का चयन भी शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

40. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि शहरी आशाओं के चिन्हीकरण में 11 जनपदों में यू0एच0आई0 के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुये शीघ्रातिशीघ्र शहरी आशाओं का चयन पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही– संबिधत 11 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी)

41. प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में संविदा ए0एन0एम0 को वी0एच0एस0एन0सी0/वी0एच0एन0डी0 में संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता नामित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस)

42. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत पूर्ण प्रतिरक्षण में वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर आई0सी0डी0एस0 एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों का सहयोग लेकर कार्य पूर्ण किये जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

43. नियमित टीकाकरण के तहत अवगत कराया गया कि जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पल्स पोलियो की टॉस्क फोर्स की बैठक में कुछ मुख्य चिकित्साधिकारी अनुपस्थित पाये गये। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि पल्स पोलियो की टॉस्क फोर्स की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी आवश्यक रुप से उपस्थित रहकर समीक्षा सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

44. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद में कार्यरत् कर्मचारी/अधिकारी जनपद में ही निवास करें, जिससे आकस्मिकता की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटा जा सके।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

45. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रतिरक्षण सत्र पर ए0एन0एम0 के द्वारा वैक्सीन कैरियर नहीं ले जाया जायेगा। मानकानुसार वैक्सीन कैरियर ब्लाक इकाई से सत्र स्थल पर भेजा जायेगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

46. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों को बिना प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक की अनुमति के परिवर्तित न किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

47. समस्त जनपदों में आशाओं को सिफ्सा की तरफ से मोबाइल कुंजी प्रदान की गई है जिसका प्रयोग आशा द्वारा किया जाना है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण, टी0ओ0टी0 एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कों मानकानुसार बी0बी0सी0 मीडिया एक्शन के सहयोग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

48. महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों चन्दौली एवं बदांयू में वी0एच0एन0डी0 के प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किये गये है। इस पर प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस को निर्देशित किया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली एवं बदांयू को प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु शासन को संस्तुति कर दी जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस)

49. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वी0एच0एन0डी0 से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर निर्धारित ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 सत्र पर समस्त लॉजिस्टिक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

50. महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि आई0डी0सी0एफ0 की रिपोर्ट जनपद फैजाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि तीन दिन के अन्दर संबंधित रिपोर्ट महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य को प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर)

51. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 07 फरवरी 2016 से 08 मार्च 2016 तक एम0सी0टी0एस0 अपडेशन अभियान के दौरान एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर डाटा अपडेट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

52. आशा मॉडयूल 6 एवं 7 प्रशिक्षण के अन्तर्गत दिसंबर 2015 तक गत वर्ष राज्य स्तर से दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम चरण में 92 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण में 81 प्रतिशत आशाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। प्रथम चक्र में जनपद सीतापुर, रायबरेली व पीलीभीत एवं द्वितीय चक्र में बलिया,

संभल, शाहजहाँपुर, गाजीपुर, देवरिया, लखनऊ की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम होने पर प्रमुख सचिव द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं प्रशिक्षण अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही– समस्त संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

53. एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन माह में एक बार भी रिपोर्ट प्रेषित नहीं करने वाले जनपदों यथा बलिया, सीतापुर, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया और ललितपुर को 3 दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी– बलिया, सीतापुर, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया और ललितपुर)

54. जनपद बागपत, बलिया, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर देहात, सीतापुर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, अमेठी का एच0बी0एन0सी0 गृह भ्रमण पर व्यय शून्य पाये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं आशाओं को शीघ्र भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत, बलिया, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर देहात, सीतापुर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, अमेठी)

55. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध सैनीटरी नैपकिन का क्रय किया गया है उन जनपदों के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।

(कार्यवाही–महाप्रबंधक–आर0के0एस0के0)

56. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में गर्भवती महिलाओं को आयरन की नीली गोली दी जा रही है उसे बन्द करते हुये लाल गोली दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

57. परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि भारत सरकार से गर्भनिरोधक सामग्री कम आ रही है जिसके कारण जनपदों की मांग के अनुरुप सामग्री का आवंटन नहीं किया जा सका है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर पर जितनी भी गर्भनिरोधक सामग्री उपलब्ध है उसे शीघ्रातिशीघ्र जनपदों को आवंटित कर दिया जाये। साथ ही साथ जनपद स्तर से सामग्री को ब्लॉक स्तर पर आवंटित करते हुये उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

58. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मण्डल मुख्यालय के मुख्य चिकित्साधिकारी राज्य स्तर से पूरे मण्डल की गर्भनिरोधक सामग्री को दो दिन के अन्दर लेना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ भारत सरकार से निःशुल्क गर्भनिरोधक सामग्री को मंगाने हेतु दो दिन के अन्दर पत्र प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

59. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की मण्डलीय अपर निदेशक प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें तथा समीक्षा के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

60. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि डा0 रिंकू श्रीवास्तव, उपमहाप्रबंधक, सिफ्सा व्यक्तिगत रुप से परिवार नियोजन से संबंधित प्रशिक्षण की समीक्षा करें एवं जो भी कमियां हो उन्हें दूर करने हेतु समुचित प्रयास करें।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक–परिवार नियोजन/डा0 रिंकू श्रीवास्तव, उपमहाप्रबंधक, सिफ्सा)

61. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था से कराये जा रहे हैं उनकी धनराशि ससमय आवंटित कर दी जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

62. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु भवन का हस्तांतरण नहीं हुआ है, वहां पर मुख्य चिकित्साधिकारी अविलम्ब हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

63. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जिन कार्यों में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है उसकी सूची एक माह अन्दर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–अधीक्षण अभियन्ता,एन0एच0एम0/महानिदेशालय)

64. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्ष 2016–17 की राज्यकार्ययोजना में जिला स्तरीय एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु जनरल फिजीशियन/स्पेशलिस्ट का मानदेय अधिकतम सीमा तक प्रस्तावित किया जाये।

(कार्यवाही–उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0/महानिदेशालय)

65. जनपद इटावा द्वारा एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कमिटेड के सापेक्ष शून्य व्यय करने पर प्रमुख सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा धनराशि कमिटेड कराई गई, उस धनराशि का उपयोग दिनांक 15/03/2016 तक सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशालय)

66. एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 12 नये जनपद प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, बस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, आजमगढ़, जौनपुर, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, मथुरा एवं एटा द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह जनवरी तक व्यय शून्य था, जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा रोष प्रकट किया गया तथा निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम में मानव संसाधन की भर्ती तथा क्रय प्रक्रिया में गतिशीलता लाते हुये इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाये एवं निदेशक, स्वास्थ्य को साप्ताहिक अनुश्रवण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/निदेशक, स्वास्थ्य)

67. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आ रही अड़चनों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य एवं उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0 द्वारा जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुये भ्रमण इतयादि के माध्यम से आ रही अड़चनों को दूर किया जाये।

(कार्यवाही–उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य)

68. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन प्रभारी चिकित्साधिकारियों के द्वारा समस्त प्रकार के भुगतान लम्बित किये जा रहे उनकी सूची बनाकर चार्ज शीट करने हेतु शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

69. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी कमेटी का गठन करते हुये वेरिफिकेशन कराकर राज्य स्तर पर अवगत कराये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

70. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी दो माह में जिन औषधियों की आर0सी0 समाप्त हो रही है उन औषधियों की निविदा पहले ही कर ली जाये।

(कार्यवाही–निदेशक, सी0एम0एस0डी0)

71. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि ड्रग प्रोक्योमेण्ट एण्ड इनवेन्ट्री कंट्रोल सिस्टम के अन्तर्गत जिन मुख्य चिकित्साधिकारियों के द्वारा अपडेशन नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दी प्रक्रिया की जाये।

(कार्यवाही– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

72. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में पुर्नरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से कम व्यय किया गया है वहां के जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी)

माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 सरकार श्री शंखलाल मांझी जी द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि :–

1. संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु जनपद स्तर पर प्रयास सुनिश्चित किये जायें। ए0एन0एम0, आशा और आंगनवाडियों को सरकारी चिकित्सालयों में संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
2. जनपद स्तर से प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई का अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करायें।

3. संस्थागत प्रसव कराने के लिए महिलायें स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं चिकित्सालय में क्यों नही आ रहे इसका भी अध्ययन मुख्य चिकित्साधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
4. जनपद में ए0एन0एम0 की तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी इस तरह करें कि कोई भी उपकेन्द्र खाली न रहें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी अपने मण्डल/जनपद में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात चिकित्सक जो गायब रहते है, पर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद में निशुल्क दवा वितरण कराना सुनिश्चित करें। बाहर से दवा क्रय कराने संबंधी कहीं से भी शिकायत आने पर मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

समीक्षा बैठक के अन्त में प्रमुख सचिव द्वारा समस्त प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया कि आज की बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर अपने स्तर से भी समीक्षा करते रहें। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या अगली बैठक से पूर्व मूल्यकांन एवं अनुश्रवण अनुभाग को प्रेषित की जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।